ओ३म्
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्
साप्ताहिक
आर्य सन्देश
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र

यज्ञ संबन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए 7428894020 मिस कॉल करें
thearyasamaj

वर्ष 43, अंक 43 एक प्रति : 5 रुपये
सोमवार 21 सितम्बर, 2020 से रविवार 27 सितम्बर, 2020
विक्रमी सम्वत् 2077 सृष्टि सम्वत् 1960853121
दयानन्दाब्द : 197 वार्षिक शुल्क : 250 रुपये पृष्ठ 8
दूरभाष: 23360150 ई-मेल : aryasabha@yahoo.com
इंटरनेट पर पढ़ें - www.thearyasamaj.org/aryasandesh

सम्पादकीय

भारतीय संसद में पारित कृषि सुधार कानून - 2020 के सम्बन्ध में चर्चा

कृषि सुधार कानून : कितना काला – कितना सफेद

....सरकार कह रही है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी न्यूनतम मूल्य समर्थन पर किसान अपनी फसल बेच सकते है रबी की एमएसपी अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। और व्यापारी को आश्वस्त करते हुए सरकार कह रही है कि मंडिया समाप्त नहीं होंगी, वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा यानि वो सिर्फ मंडी के भरोसे नहीं रहेंगे। इससे इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्मो पर फसलों का व्यापार बढ़ेगा। पारदर्शिता के साथ समय की बचत होगी मसलन पहले किसान भाव देखने पूछने मंडी जाता था फिर फसल बेचता था अब वह ऑनलाइन भी भाव देख और बेच सकता है।.....

विपक्ष के जोरदार हंगामें, नारे बाजी, संसद में तमाशे के बीच कृषि सुधार से संबंधित दो बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए। इन बिलों को तमाम विपक्ष काला कानून कह रहा है। विपक्ष का मानना है कि इस बिल से किसान भूखा मर जायेगा, ये बिल नहीं जहर है। इसके विपरीत सत्ता पक्ष इस बिल के फायदे हमराज चूरण की तरह बता रहा है कि यह बिल उसके लिए अमृत के समान है; जो पी लेगा वो जी लेगा। लेकिन आम जनता कहो या किसान आखिर उनके सवाल क्या हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसे लेकर डेमेज कंट्रोल में जुट गयी है और भ्रम दूर करने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं।

तो अब सवाल स्वभाविक रूप से खड़ा हो जाता है कि क्या ये बिल वाकई में किसान विरोधी है और उसकी मेहनत, उसकी उपज, उसकी फसल का दाम दिला पायेगा या कहो उसके पेट की भरपाई कर पायेगा? या फिर वो बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियों का बंधवा मजदूर होकर रह जायेगा। दरअसल बहुत पहले पंजाब के मुख्यमंत्री केप्टन साहब ने एक बात कही थी कि किसान को तीन चीज चाहिए, समय पर उत्तम क्वालिटी के खाद बीज, उसकी फसल का अच्छा दाम और फसल का नकद दाम लेकिन कोई भी सरकार चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की या दूसरा तीसरा मोर्चा ये चीज नहीं दे पाया।

अब काफी समय बाद मोदी सरकार कृषि सुधार बिल लेकर आयी है इस बिल का नाम है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 इस बिल के ढांचे में ये बताया जा रहा है कि इसमें किसानों को उनकी फसल को बेचने की आजादी प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जहां किसान अपनी फसल मंडी के बाहर भी बेच सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पहले राजस्थान का किसान एमपी में वहां की राज्य सरकार को अपनी फसल नहीं बेच सकता था। इस बिल में कहा जा रहा है वह किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकता है। यानि 'वन नेशन वन मार्किट' एक देश एक बाजार की बात कही जा रही है। यानि राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करना इस बिल का लक्ष्य है।

अब सवाल है केरल का एक नारियल का किसान दिल्ली की किसी मंडी या कम्पनी में सीधा नारियल बेचता है तो उसका किराया कौन देगा? मतलब वहां तो नारियल 3 रूपये का है यहाँ 20 रूपये का है अगर वो अपना नारियल यहाँ लाता है तो उतना ही उसका किराया लग जायेगा इसमें उसका क्या लाभ? तो इस बिल में कह जा रहा है कि परिवहन लागत एवं टेक्स में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना। इसके अलावा पढ़ा लिखा किसान ई-ट्रेडिंग के जरिये भी अपनी फसल सीधा कम्पनियों को बेच सकता है इसके लिए किसानों को बिक्री के लिए ज्यादा सुविधाजनक तंत्र उपलब्ध कराना इस बिल का हिस्सा बताया जा रहा है।

इससे आगे बिल में कहा जा रहा है कि मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, कोल्डस्टोरेज, वेयर हाउस यानि मालगोदाम पर भी उसे व्यापार की स्वतंत्रता है। इसके लिए किसानों से निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध होगा ताकि बिचौलिये दूर हों।

यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा है अगर ऐसा हो तो किसान की बल्ले बल्ले हो जाएगी लेकिन किसानों और व्यापारियों की आशंकाएं भी यहीं से शुरू होती हैं। तो कई किसान हितैषी संगठन सवाल उठा रहे हैं कि इससे न्यूनतम मूल्य समर्थन यानि एमएसपी सिस्टम समाप्त हो जायेगा। अब इस न्यूनतम मूल्य समर्थन को आसान भाषा में ऐसे समझे कि अगर धान या गेहूं का न्यूनतम मूल्य समर्थन सरकार ने दो हजार रूपये तय कर दिया कि भाई ये तो

- शेष पृष्ठ 2 पर

आर्यसमाज द्वारा संचालित महाशय धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान की विद्यार्थी
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कस्टम एवं एक्साइज इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त
पद्मभूषण महाशय धर्मपाल जी एवं सभा प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी ने दी बधाई

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत संचालित महाशय धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान में परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा सुश्री अंजू गर्ग जी की नियुक्त कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कस्टम एवं एक्साइज इंस्पेक्टर पद पर की गई है। इस अवसर पर सार्वदेशिक सभा के संरक्षक पद्मभूषण महाशय धर्मपाल जी, दिल्ली सभा के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी, महामन्त्री श्री विनय आर्य जी एवं श्री प्रेम अरोड़ा जी ने उन्हें बधाई देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया।

सुश्री अंजू गर्ग जी को आशीर्वाद एवं शुभकनाएं देते हुए पद्मभूषण महाशय धर्मपाल जी साथ में हैं महामन्त्री श्री विनय आर्य जी एवं श्री प्रेम अरोड़ा जी

अब 24 घंटे चल रहा है आपका अपना चैनल
आर्य संदेश टीवी
Arya Sandesh TV
www.AryaSandeshTV.com
आर्य समाज का 24 घण्टे चलने वाला टीवी चैनल
प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध
REAL 303 · CruzeTV 335 · VooDoo 2038 · eBaba · dailyhunt · TVZON · Shava · MXPLAYER · KaryTV
आर्यसमाज के समाचार एवं अपने सुझाव 7428894010 पर व्हाट्सएप्प करें। प्रतिदिन स्वयं जुड़ें और अन्यों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें।
आर्यसन्देश टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय सारणी पृष्ठ 8 पर दी गई है

वेद-स्वाध्याय

हम स्नान करते हैं

तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्याऽ पि भद्रे सौमनसे स्याम।
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद् द्वेषः सनुतर्युयोतु। ।यजु० 20/52
ऋषि: **गर्ग:**।। देवता - **इन्द्र:**।। छन्द: **भुरिक्पङ्क्ति:**।।

शब्दार्थ - वयम् = हम **तस्य** = उस **यज्ञियस्य** = यजनीय देव की **सुमतौ** = सुमति में **स्याम** = हों, और उसकी **भद्रे** = कल्याणकारक **सौमनसे** = सुमनस्कता, प्रसन्नता में **अपि** = भी हों। **स:** = वह **सुत्रामा** = श्रेष्ठ रक्षक **स्ववान्** = अपनी शक्ति-वाला **इन्द्र:** = परमेश्वर **अस्मे** = हमसे **आरात्** = दूर **चित्** = ही **द्वेष:** = द्वेष को **सनुत:** = बिलकुल **युयोतु** = हटा देवे।

विनय-हम चाहते हैं कि हम पूजनीय परमेश्वर के प्यारे बनें। हम सदा उन यज्ञिय देव की सुमति में रहें, उनके कल्याणकारक सौमनस् में बसें। हमें सदा उनकी श्रेष्ठ मति मिलती रहे, उनकी शुभ प्रसन्नता प्राप्त होती रहे। यह सब सुलभ है यदि हम उसका यजन करते रहें। वही एकमात्र इस संसार में हम मनुष्यों का यजनीय है, यज्ञार्ह है। यजन किया हुआ वही हमारा 'सुत्रामा' है। उस-जैसा श्रेष्ठ रक्षक हमारा और कौन हो सकता है? क्योंकि वही है जो अपनी निजी शक्ति रखता है। संसार में अन्य सभी उसी की शक्ति पाकर शक्तिमान् हुए हैं। एक वही है जोकि 'स्ववान्' है, परन्तु उस सुत्रामा प्रभु का यजन करना आसान काम नहीं है। उसके यजन में जो सबसे बड़ा बाधक है, वह हमारा 'द्वेष' है। तनिक-से भी द्वेष को अपने हृदय में स्थान देकर हम उसका पूजन नहीं कर सकते। जिसके लिए यह पृथिवीतल, सब संसार द्वेषरहित हो गया है वही इन्द्र-प्रभु का यजन कर सकता है। इसलिए वे इन्द्र ही हमपर कृपा करें, हमसे द्वेष को सर्वथा हटाकर हमें बिलकुल द्वेषरहित कर दें। अहा! सर्वथा द्वेषरहित हो जाना, कभी भी कहीं भी द्वेष न रहना, यह कैसी सुन्दर अवस्था है! कैसी आनन्दमय अवस्था है! उस अवस्था में पहुँचकर तो इन्द्र की सुमति हमपर बरसती है और उसके सौमनस में हम स्नान करते हैं।

-: साभार :-वैदिक विनय

वैदिक विनय : यह पुस्तक वैदिक प्रकाशन, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15 हनुमान रोड, नई दिल्ली में उपलब्ध है। अपने ज्ञानवर्धन के लिए आज ही अपना आदेश मो. नं. 9540040339 पर प्रेषित करें।

प्रथम पृष्ठ का शेष

कृषि सुधार कानून : कितना काला - कितना ......

कम मूल्य है, इससे नीचे तो यह फसल नहीं बिक सकती तो कोई व्यापारी उसे 1950 रूपये में नहीं खरीद सकता। इससे ऊपर ही खरीदा जा सकता है।

इसमें किसानों को डर ये है कि कहीं नई व्यवस्था में सरकार न्यूनतम मूल्य समर्थन घोषित न करें और कम्पनियां अपने मनमर्जी दाम से उसे फसल बेचने पर मजबूर कर दे। और व्यापारियों को ये डर है अगर किसान सीधा कम्पनियों को फसल बेच देगा तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी।

तो इसका समाधान देते हुए सरकार कह रही है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी न्यूनतम मूल्य समर्थन पर किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, रबी की एमएसपी अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। और व्यापारी को आश्वस्त करते हुए सरकार कह रही है कि मंडिया समाप्त नहीं होंगी, वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा यानि वो सिर्फ मंडी के भरोसे नहीं रहेंगे। इससे इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्मो पर फसलों का व्यापार बढ़ेगा। पारदर्शिता के साथ समय की बचत होगी मसलन पहले किसान भाव देखने पूछने मंडी जाता था फिर फसल बेचता था अब वह ऑनलाइन भी भाव देखकर फसल बेच सकता है।

अब दूसरे बिल की बात करते हैं यह है कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ।

इसमें मुख्य प्रावधान ये है कि किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, यानि जैसे टमाटर का सॉस बनाने वाली कम्पनी और निर्यातकों से सीधे जोड़ना। ये एक एग्रीमेंट के तहत होगा इसमें बुवाई से पहले ही किसान की फसल के दाम निर्धारित कर दिए जायेंगे। बुवाई से पहले ही किसान को मूल्य का आश्वासन दिया जायेगा और दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जायेगा। इससे फायदा ये होगा मूल्य पहले ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।

दूसरा ये है कि किसानों तक अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज पहुंचाने का काम करार करने वाली कंपनी करेगी। तीसरा विपणन की लागत कम करके किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना। यानि विज्ञापन पर होने खर्च से पैसे बचाकर उससे किसान का मुनाफा बढ़ाना।

चौथा अगर कम्पनी या किसान के बीच में कोई विवाद होता है कि भाई हम तो फसल नहीं बेच रहे हैं या इस दाम पर हम नहीं ले रहे हैं या फिर उसकी पेमेंट देने में देरी करना तो ऐसी स्थिति में उसका निपटारा 30 दिन के अन्दर स्थानीय स्तर पर करना। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।

अब सुनने में तो ये भी बड़ा बढिया है, लेकिन इसे लेकर भी किसानों की आशंकाएं हैं इसमें पहली तो यही है कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वे कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। मसलन अगर कम्पनी कहेगी कि चलो 5 रुपये किलों में टमाटर उगा तो उसे उगाने पड़ेंगे उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा हालाँकि किसान अभी भी अपनी फसल का दाम तय नहीं करता या तो सरकार करती है या व्यापारी। खैर दूसरी आशंका ये है कि छोटे किसान कैसे कांट्रेक्ट फार्मिग कर पाएंगे, प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं जैसे ये कह दिया जाये कि यार तू तो पांच बीघे वाला किसान है क्या उगाएगा, क्या बेचेगा। इस कारण किसान इस नए सिस्टम से परेशान होगा। इसके बाद विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि उसके पास तो बड़े-बड़े वकील होंगे, पैसा फेंकेगें और तमाशा देखेंगे। तो तब किसान क्या करेगा? उसके पास तो न पैसा है, न पहुँच, वह तो मारा जायेगा या फिर सिस्टम के हाथों मजबूर हो जायेगा।

अब इसका समाधान देते हुए सरकार कह रही है कि किसान को एग्रीमेंट में पूरी आजादी रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुसार दाम तय करके उपज बेचेगा। कि भाई मैं तो 20 रूपये किलों ही टमाटर दूंगा न एक पैसा नीचे न ऊपर अब रही बात उसके भुगतान की तो सरकार कह रही है फसल बेचने के अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर उसका भुगतान करना होगा।

इसके अलावा बात छोटे किसानों की करें तो सरकार देश में 10 हजार कृषक उत्पादक समूह बनाने जा रही हैं। ये समूह छोटे छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। जिस तरह मदर डेयरी गाँव में एक जगह दूध जमा करके उठा लेती है चाहें इसमें छोटा दूधिया हो या बड़ा कम्पनी को दूध से मतलब है न की दुधिया से

इसके बाद आशंका है अनुबंध के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने पड़ेगे कि फसल तैयार है कब लेकर आयें कंपनी कह दे कि बाद में आना अभी टाइम नहीं है। तो सरकार कह रही है कि किसान को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीदार किसान के खेत से ही सीधा उपज लेकर जा सकेगा।

अब रही बात किसान और कम्पनी के विवाद की तो सरकार कह रही है कि विवाद की स्थिति में किसान को कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यक्ता नहीं होगी। वकील खड़े नहीं करने होंगे स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटाने की व्यवस्था रहेगी।

अब चलते हैं तीसरे और अंतिम विधेयक की ओर जिसे आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक -2020 कहा जा रहा है। इसमें मुख्य प्रावधान ये है कि अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाया गया है मतलब ये चीजें जरूरी नहीं है।

दूसरा किसी बुरी स्थिति, जिसमें कि 50 प्रतिशत से ज्यादा मूल्य वृद्धि शामिल है, को छोड़कर इन उत्पादों के जमा करने की सीमा तय नहीं की जाएगी। तीसरा सरकार कह रही है कि इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यानि कम्पनियाँ मुनाफे के लिए खेतों का रुख करेगी चौथा इससे कीमतों में स्थिरता आएगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। यानि जमाखोरी बंद होगी जिसका जितना अच्छा माल उसकी उतनी अच्छी कीमत।

पांचवा देश में कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी। भंडारण क्षमता वृद्धि से किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा एवं उचित समय आने पर बेच पाएगा।

ये भी बड़ा बढ़िया प्रावधान दिख रहा है लेकिन इसमें भी किसानों की आशंकाएं हैं जैसे बड़ी कंपनियां जरूरी चीजों का भंडारण करेगी उनके पास तो पैसा होगा पावर होगी तो उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा और इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है।

तो इसका समाधान देते हुए सरकार कह रही है कि नहीं इससे निजी निवेशकों यानि प्राइवेट कंपनियों को उनके व्यापार के परिचालन में हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। यानि उसे समय पर उपज मिलेगी तो वह ऐसा क्यों करेगा इससे तो कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा।

दूसरा कोल्ड स्टोरेज एवं खाद्य प्रसंस्करण यानि टमाटर का सॉस बनाने वाले जैसे क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने से किसानों को बेहतर संसाधन मिल जायेंगे इसके अलावा उसकी फसल खराब होने की आंशका दूर हो जाएगी वह आलू-प्याज जैसी फसलें ज्यादा निश्चितता से उगा पाएगा। एक सीमा से ज्यादा कीमते बढ़ने पर सरकार के पास पहले की तरह नियंत्रण की सभी शक्तियां मौजूद है यानि किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी और भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

ये था पुरे बिल का मसौदा अब इसे किसान विरोधी कह लीजिये या किसान हितैषी ये अपनी-अपनी सोच और समझ है। हाँ, विपक्ष के कुछ सवाल जरूर हो सकते हैं। वे लोकतान्त्रिक तरीकों से उठाये जा सकते हैं न कि संसद में गाली-गलोच मारपीट करके। किसान देश का अन्नदाता है, जब लॉकडाउन में पूरा देश बंद था तब देश की जीडीपी को इसी किसान ने सहारा दिया था। *- सम्पादक*

ध्यान दें – कहीं आपकी सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की न हो जाए?

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन कह रहे है कि वक्फ कानून 1995 की धारा-5 में कहा गया है कि सर्वेक्षण कर सारी इस्लामिक यानि इस्लाम से जुडी धरोहर वक्फ संपत्ति की पहचान कर ली गई है। लेकिन इसके बावजूद दिनों-दिन वक्फ संपत्ति बढ़ रही है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास करीब चार लाख एकड़ की संपत्ति थी। अगले 11 साल यानि 2020 में बढ़कर आठ लाख एकड़ हो गई। बंटवारे के बाद देश में जमीन उतनी ही है, जितनी पहले थी। फिर वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है ये सवाल भी सभी के सामने है। पूरी वक्फ संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस तरह वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे अधिक जमीन है।.......

......शायद वोट बैंक की राजनीति ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी है कि अब वह जमीन हथियाने का एक उपकरण बन चुका है। 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ कानून-1995 में संशोधन कर उसे ऐसे अधिकार दे दिए, जो भारत को इस्लामीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि धारा 40 में यह भी प्रावधान है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसके मालिक को सूचित करना जरूरी नहीं है। बाद में असली मालिक वक्फ काउंसिल में मुकदमा लड़ता रहता है। देखा जाता है कि काउंसिल ज्यादातर मामलों में वक्फ बोर्ड का ही साथ देती है। दूसरा इसकी धारा 52 में लिखा है कि यदि किसी की जमीन, जो वक्फ में पंजीकृत है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वक्फ बोर्ड जिला दंडाधिकारी से जमीन का कब्जा वापस दिलाने के लिए कहेगा। कानून के अनुसार जिला दंडाधिकरी 30 दिन के अंदर जमीन वापस दिलवाएगा। .....

यदि आप हिंदू हैं और आपने सड़क के किनारे या किसी अन्य सरकारी जमीन पर कोई मंदिर, आश्रम या मठ बना लिया है, तो वह कभी भी वैध नहीं हो सकता है। कोई एक सरकारी कागज का टुकड़ा आएगा और वो जगह आपसे खाली करा ली जाएगी। लेकिन यदि आप मुसलमान हैं और सड़क के किनारे या सरकारी जमीन पर कहीं कोई मस्जिद या मजार बनाकर बैठे हैं, तो कुछ समय बाद वह जगह वैध हो ही जाएगी। ऐसा वक्फ कानून-1995 के 2013 के संशोधन के कारण हो रहा है। इसलिए कोई मुसलमान कहीं भी अवैध मजार या मस्जिद बना लेता है और एक अर्जी वक्फ बोर्ड में लगा देता है। बाकी काम वक्फ बोर्ड करता है। यही कारण है कि आज पूरे भारत में अवैध मस्जिदों और मजारों का निर्माण बेरोक-टोक हो रहा है। और ये निर्माण कार्य एक षड्यंत्र को सफल करने के लिए हो रहा है और वह षड्यंत्र है अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा करना।

इसलिए वक्फ बोर्ड के विरुद्ध आवाज उठने लगी हैं। इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है। इसमें वक्फ कानून-1995 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ये प्रावधान गैर-मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं, इन प्रावधानों को खत्म कर देना चाहिए। समाजसेवी जितेंद्र सिंह और 5 अन्य लोगों ने यह याचिका (951/2020) वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन के माध्यम से दायर की है।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि वक्फ कानून 1995 की धारा-5 में कहा गया है कि सर्वेक्षण कर सारी इस्लामिक यानि इस्लाम से जुडी धरोहर वक्फ संपत्ति की पहचान कर ली गई है। लेकिन इसके बावजूद दिनों-दिन वक्फ संपत्ति बढ़ रही है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास करीब चार लाख एकड़ की संपत्ति थी। अगले 11 साल यानि 2020 में बढ़कर आठ लाख एकड़ हो गई। बंटवारे के बाद देश में जमीन उतनी ही है, जितनी पहले थी। फिर वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है ये सवाल भी सभी के सामने है। पूरी वक्फ संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस तरह वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे अधिक जमीन है।

दरअसल वक्फ शब्द का अर्थ किसी भी धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान होता है। यह दान पैसे, संपत्ति या काम का हो सकता है। कानूनी शब्दावली में बात करें तो इस्लाम को मानने वाले किसी इंसान का अपने मजहब के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक इस्लाम के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। वक्फ शब्द का इस्तेमाल अधिकतर इस्लाम से जुड़ी हुए शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद और धर्मशालाओं के लिए भी किया जाता है। अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इसमें अजीब बात ये है कि एक गैर मुस्लिम भी दान कर सकता है लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसे इस्लाम में आना पड़ेगा।

अब इसमें भी दो बोर्ड हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति अलग है और शिया वक्फ बोर्ड की अलग। शायद वोट बैंक की राजनीति ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी है कि अब वह जमीन हथियाने का एक उपकरण बन चुका है। 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ कानून-1995 में संशोधन कर उसे ऐसे अधिकार दे दिए, जो भारत को इस्लामीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि धारा 40 में यह भी प्रावधान है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसके मालिक को सूचित करना जरूरी नहीं है। बाद में असली मालिक वक्फ काउंसिल में मुकदमा लड़ता रहता है। देखा जाता है कि काउंसिल ज्यादातर मामलों में वक्फ बोर्ड का ही साथ देती है। दूसरा इसकी धारा 52 में लिखा है कि यदि किसी की जमीन, जो वक्फ में पंजीकृत है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वक्फ बोर्ड जिला दंडाधिकारी से जमीन का कब्जा वापस दिलाने के लिए कहेगा। कानून के अनुसार जिला दंडाधिकरी 30 दिन के अंदर जमीन वापस दिलवाएगा। यानी वक्फ बोर्ड तो अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनेक कानूनों को लेकर बैठा है, लेकिन यदि वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया तो उसे वापस लेना आसान नहीं होता है। इस संदर्भ में पांचजन्य में एक विस्तृत रिपोर्ट छापी गयी है।

यानि किसी भी अवैध मजार या मस्जिद को वैध बनाने में दिक्कत नहीं होती है। पिछले कुछ बरसों में ही वक्फ बोर्ड ने अनेक स्थानों पर सरकारी या हिंदुओं की जमीन या मकान पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वक्फ बोर्ड के विरुद्ध आवाज उठने लगी हैं। ये याचिका दायर होना इसी परिणाम है। क्योंकि एक-दो मामले से ही बोर्ड की बदमाशी का अंदाजा लग जाएगा। बताया जा रहा है कि महरौली के वार्ड नं. 1 में मनमोहन मलिक नामक एक व्यक्ति का पुराना घर था। करीब दो साल पहले उन्होंने उस घर को तोड़कर नया मकान बनाना शुरू किया। एक दिन मोहम्मद इकराम नामक एक कथित मौलाना उनके घर पहुंचा और कहा कि जिस जगह आप मकान बना रहे हैं, वह जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसके बाद उसने पुलिस को भी बुला लिया और इस तरह वह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। हालाँकि वह कथित मौलाना अपने दावे के अनुसार अदालत के सामने कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। न्यायालय ने पाया कि मौलाना का दावा झूठा है। इसके लिए न्यायालय ने उस मौलाना पर 10,000 रु. का जुर्माना लगाया और फैसला मनमोहन मलिक के पक्ष में दिया।

दूसरा मामला भी महरौली का ही है। यहां के वार्ड नं. 8 में एक भूखंड किसी भार्गव नाम के व्यक्ति का है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसका क्षेत्रफल 3,500 गज है। उन्होंने 1987-88 में इस भूखंड को एक मुसलमान से खरीदा था। शायद यह सौदा वक्फ बोर्ड को पसंद नहीं था। इसलिए उसने उस भूखंड के बीच में मौजूद एक पुराने ढांचे को मजहबी स्थल बताना शुरू किया और कई बार जबरन उस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया। कुछ समय पहले भूखंड की घेराबंदी की जाने लगी तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने मुसलमानों की भीड़ के साथ खूब हंगामा किया। अभी यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

इसी कारण याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में वक्फ कानून-1995 की अनेकों धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कहा गया है कि ये धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 27 और 300 ए का उल्लंघन करती हैं। इसके अलावा वक्फ कानून की धारा 6, 7, 83 को भी निरस्त करने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध ने याचिककाताओं की ओर से सबसे बेहतरीन दलील ये दी गयी है कि वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने का विशेष अधिकार है। उसके लिए कोई समय-सीमा भी नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड जब चाहे अपनी संपत्ति को वापस करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। लेकिन ऐसी छूट किसी हिंदू न्यास, मठ, मंदिर, अखाड़ा आदि धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधकों या सेवादारों को क्यों नहीं दी गई है?

इस तरह के कारनामे सामने आने के बाद वक्फ बोर्ड पर शोध करने वालों का मानना है कि यदि जल्दी ही वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम नहीं किया गया तो आने वाले कुछ बरसों में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। देर से ही सही, पर अब मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर जल्दी सुनवाई शुरू करेगा और वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।

- राजीव चौधरी

वैचारिक क्रान्ति के लिए
महर्षि दयानन्दकृत
"सत्यार्थ प्रकाश"
पढ़ें और पढ़ावें

आर्यसमाज के सेवा संस्थान - अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ के अन्तर्गत कार्यरत सेवा ईकाई

'सहयोग' द्वारा दिल्ली सभा के निर्देशन में यज्ञ-वस्त्र वितरण एवं नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सेवा ईकाई 'अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ' का सेवा प्रकल्प ''सहयोग'' वस्त्रों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति व शिक्षा के मूलभूत अधिकार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है। पद्मभूषण महाशय धर्मपाल जी की प्रेरणा से अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित सहयोग एक ऐसी कल्याणकारी दिव्य योजना है, जिससे लाखों लोग लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रान्तीय स्तर पर दिल्ली में सहयोग का कार्य दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत किया जा रहा है।

8 सितम्बर, 2020 को मुर्गा मार्किट, आदर्श नगर की जे.जे. कालोनी स्थित हनुमान मन्दिर में यज्ञ व वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वहाँ के बच्चों के मुँह से गालियाँ सुनकर हमने अपने कार्यक्रम का विषय संस्कार और सदव्यवहार रखा। यहाँ की गलियाँ इतनी संकरी थी कि एक समय पर एक व्यक्ति ही गली से गुजर सकता था फिर हमने यज्ञ के स्थान के लिए रोड पर स्थित एक मंदिर का चुनाव किया।

मंदिर बेहद छोटा था जिसमें केवल 10-12 महिलाएँ ही बैठ सकीं, मगर फिर भी जो लोग यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते थे वो थोड़ी थोड़ी देर गेट पर खड़े होकर आते जाते रहे। यज्ञ के पश्चात् सबको वस्त्र भेंट किए गए।

दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को हनुमान मंदिर, जहांगीर पुरी में यज्ञ का आयोजन किया गया।

यहां जहाँगीर पुरी के ब्लाक की झुग्गीयों में एक नवीन विवाहित दम्पति परिवार के यहाँ यज्ञ था। जो दम्पति परिवार हवन में बैठा था। वो भाई नशा करते थे, उन्होंने आज हवन में आगे नशा ना करने का संकल्प लिया। इससे पहले भी इसी क्षेत्र का एक युवा शराब व नशे की लत में बुरी तरह ग्रस्त था मगर निरंतर यज्ञ में आने से उसकी आदतों में परिवर्तन आया और आज उनके परिवार से मिलने के पश्चात् पता चला कि उस भाई ने पिछले 3 महीने से किसी नशे की चीज को हाथ भी नहीं लगाया है। आर्य समाज के ये छोटे-छोटे प्रयास दिखने वाले वास्तव में समाज में कितना बड़ा बदलाव कर रहे हैं ये उसका अप्रतिम उदाहरण है। आज सहयोग द्वारा किए जा रहे हवन एवं वस्त्र वितरण कार्यक्रमों से कई परिवारों के जीवन बदल रहा हैं।

आपका योगदान - 'सहयोग' के माध्यम से आप इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। आपके घर में बहुत-सा ऐसा सामान होता है जो आपके काम नहीं आता है किन्तु किसी अन्य के लिए वह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप वह सामान हमें दें, हम उसे हर जरूरतमंद तक पहुँचाएंगे।

आप हमें 'वस्त्र, पुस्तकें, खिलौने, जूतें, चप्पल, आदि' सामान दे सकते हैं। आप सामान एकत्र करके सहयोग टीम को 9540050322 पर कॉल करें। हमारी गाड़ी आपके घर से सामान लेकर आएगी। आप अपना सहयोग हमारे कार्यालय आकर भी दें सकते हैं। कार्यालय पता है-

आर्य समाज मन्दिर,
डी.सी.एम. रेलवे कोलोनी,
निकट फिल्मिस्तान,
दिल्ली-110007

वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी - एक वृहद योजना

दिल्ली सभा के इस सृजनात्मक अभियान में प्रत्येक आर्य व्यक्ति, परिवार, संस्था और समाज वैदिक साहित्य को एकत्रित करने में पूरी शक्ति से करें सहयोग प्रदान

किसी भी संस्था या संगठन के विचार, मान्यताएं और परंपराओं के प्राण उसके साहित्य-पुस्तकों में समाए होते हैं। वैदिक धर्म, संस्कृति और संस्कारों के उत्थान में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी से लेकर पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपतराय, महात्मा हंसराज, पंडित गुरूदत्त विद्यार्थी, स्वामी दर्शनानंद, स्वामी स्वतंत्रानंद, महात्मा नारायण स्वामी, पंडित तुलसीराम, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, गंगाप्रसाद उपाध्याय, आर्यमुनि इत्यादि हमारे महापुरुषों ने वेदज्ञान की अविरल धारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम किया और अत्यधिक मात्रा में साहित्य सृजन कर पुस्तकों के रूप में उसे वितरित भी किया। इसी ज्ञान संपदा की बदौलत आज हम देश के कोने-कोने में और विश्व के 32 देशों तक विस्तार कर पाए हैं। इस क्रम को लगातार आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए पंडित लेखराम ने कहा था कि विचारशीलता और लेखन का कार्य आर्यसमाज की ओर से निरंतर चलते रहना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप आर्य समाज के सैकड़ों सुप्रसिद्ध संन्यासियों और विद्वानों ने वैदिक साहित्य कोष की निरंतर अभिवृद्धि की। किंतु आज हामरे महापुरुषों के द्वारा निर्मित कई पुस्तकें ऐसी हैं जो बहते समय के प्रवाह के साथ-साथ धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। बहुत

सी पुस्तकों को किन्हीं कारणों से प्रकाशित नहीं किया जा रहा है और इस तरह बहुत-सी पुस्तकें जो अत्यंत उपयोगी थीं, उनका मिलना लगातार बहुत कठिन होता जा रहा है।

इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने कई वर्षों पूर्व "वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी" की योजना का शुभारंभ किया था और सभी आर्य समाजों एवं आर्य जनों से अनुरोध किया था कि आपके घर की अथवा आर्यसमाजों एवं आर्य शिक्षण संस्थाओं की लाइब्रेरी में कहीं पर भी दुर्लभ वैदिक साहित्य उपलब्ध हो तो कृपया उसे दिल्ली सभा द्वारा संचालित वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी में पहुंचाने की कृपा करें। बहुत से आर्यजनों ने बहुत-सी उपयोगी पुस्तकें पहुंचाई भी हैं, उन सभी महानुभावों का धन्यवाद। लेकिन सभा का यह कार्य अभी अधूरा है, सभा की यह वैदिक रैफरेंस लाइब्रेरी की योजना बड़ी व्यापक है, इसके पीछे भावना यही है कि-

1) आर्य समाज का संपूर्ण वैदिक साहित्य एक स्थान पर पुस्तकों के रूप में हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों फार्मेट में उपलब्ध हो और यह सारी वैदिक ज्ञान संपदा आर्य समाज की वैबसाइट पर भी उपलब्ध हो।

2) जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में कहीं भी, कभी भी और कोई भी आर्य सज्जन जिस किसी भी पुस्तक का स्वाध्याय करना चाहे अथवा किसी पुस्तक के रेफरेंस से कोई बात प्रमाणित करना चाहे तो वह तुरंत आर्य समाज की वैबसाइट पर जाकर ई.संस्करण द्वारा कर सके।

3) इस तरह आर्य समाज का प्रचार प्रसार भी तीव्रगति से संभव होगा, हमारे पूर्वजों ने जिस लोकोपकारी भावना से कठिन तप करके पुस्तकों की रचना की थी उसकी रक्षा होगी और हमारी अमूल्य निधि वैदिक ज्ञानधारा भी सुरक्षित होगी।

4) इसके साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम देश की युवा पीढ़ि को आर्य विचारधारा और वैदिक ज्ञानधारा से सरलता से जोड़ने मे सफल होंगे।

5) बंधुओ, आज समाज तीव्र गति से बदलाव की ओर बढ़ रहा है, इस परिवर्तन की धारा में हमें अपने वैदिक विचार-मान्यताएं और परंपराओं को सहेजना भी है और उन्हें प्रसारित भी करना है। इसी भावना और कामना को साकार करने में वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।

अत: इस विशेष अनुरोध पर गहराई से चिंतन करें, इसके महत्व को समझें और वैदिक साहित्य को वैदिक रैफरेंस लाइब्रेरी में अपना नाम, पता एवं सम्पर्क सूत्र लिखकर रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा **"प्रबन्धक, वैदिक रैफरेंस लाइब्रेरी"** के नाम - **दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15 हनुमान रोड, नई दिल्ली-110001** के पते पर भेजें।

- विनय आर्य, महामंत्री

111वें जन्म दिवस (22 सितम्बर) पर विशेष

आर्यसमाज के महान अनुसंधानकर्ता एवं संस्कृत व्याकरण के मर्मज्ञ विद्वान् - पण्डित युधिष्ठिर जी मीमांसक

मीमांसा का अध्ययन करने के पश्चात् युधिष्ठिरजी अपने गुरु पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के साथ 1935 में लाहौर लौटे और रावी नदी के पार बारहदरी के निकट रामलाल कपूर के परिवार में आश्रम का संचालन करने लगे। भारत-विभाजन तक विरजानन्दाश्रम यहीं पर रहा। 1947 में जब लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो जिज्ञासुजी भारत आ गए। 1950 में उन्होंने काशी में पुनः पाणिनी महाविद्यालय की स्थापना की और रामलाल कपूर ट्रस्ट के कार्य को व्यवस्थित किया। पं० युधिष्ठिर भी कभी काशी, तो कभी दिल्ली अथवा अजमेर में रहते हुए ट्रस्ट के कामों मे अपना सहयोग देते रहे। उनका सारस्वत सत्र निरन्तर चलता रहा।

पं. युधिष्ठिर मीमांसक जी का जन्म राजस्थान के अजमेर जिले के विरकच्यावास नामक ग्राम में भाद्रपद शुक्ला नवमी सं. 1966 वि. तदनुसार 22 सितम्बर 1909 को पं० गौरी लाल आचार्य के यहाँ हुआ। पं० गौरीलाल सारस्वत ब्राह्मण थे तथा आर्य समाज के मौन प्रचारक के रूप में आजीवन कार्य करते रहे। मीमांसक जी की माता का नाम श्रीमती यमुना देवी था। माता के मन में इस बात की बड़ी आकांक्षा थी कि उसका पुत्र गुरुकुल में अध्ययन कर सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण बने। माता की मृत्यु उसी समय हो गई जब युधिष्ठिर केवल 8 वर्ष के ही थे, परन्तु निधन के पूर्व ही माता ने अपने पतिदेव से यह वचन ले लिया था कि वे इस बालक को गुरुकुल में अवश्य प्रविष्ट करायेंगे। तदनुसार 12 वर्ष की अवस्था में युधिष्ठिर को स्वामी सर्वदानन्द द्वारा स्थापित साधु आश्रम पुल काली नदी (जिला - अलीगढ़) में 3 अगस्त 1921 को प्रविष्ट करा दिया गया। उस समय पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, पं० शंकरदेव तथा पं० बुद्धदेव उपाध्याय, (धार निवासी) उस आश्रम में अध्यापन कार्य करते थे। कुछ समय पश्चात् यह आश्रम गण्डा सिंह वाला (अमृतसर) चला गया। यहाँ उसका नाम विरजानन्दाश्रम रक्खा गया।

परिस्थितिवश दिसम्बर 1925 में पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु तथा पं० शंकरदेव 12-13 विद्यार्थियों को लेकर काशी चले गए। यहाँ एक किराये के मकान में इन विद्यार्थियों का अध्ययन चलता रहा। लगभग ढ़ाई वर्ष के पश्चात् घटनाओं में कुछ परिवर्तन आया जिसके कारण जिज्ञासुजी इनमें से 8-9 छात्रों को लेकर पुनः अमृतसर आ गए। कागज के सुप्रसिद्ध व्यापारी अमृतसर निवासी श्री रामलाल कपूर के सुपुत्रों ने अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में वैदिक साहित्य के प्रकाशन एवं प्रचार की दृष्टि से श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट की स्थापना की थी और इसी महत्त्वपूर्ण कार्य के संचालन हेतु उन्होंने श्री जिज्ञासु को अमृतसर बुलाया था। लगभग साढ़े तीन वर्ष अमृतसर में युधिष्ठिरजी का अध्ययन चलता रहा। कुछ समय बाद जिज्ञासुजी कुछ छात्रों को लेकर पुनः काशी लौटे। उनका इस बार के काशी आगमन का प्रयोजन मीमांसा दर्शन का स्वयं अध्ययन करने तथा अपने छात्रों को भी इस दर्शन के गम्भीर अध्ययन का अवसर प्रदान कराना था। फलतः युधिष्ठिर जी ने काशी रहकर महामहोपाध्याय पं० चिन्न स्वामी शास्त्री तथा पं पट्टाभिराम शास्त्री जैसे मीमांसकों से इस शास्त्र का गहन अनुशीलन किया तथा गुरुजनों के कृपा प्रसाद से इस शुष्क तथा दुरूह विषय पर अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे।

मीमांसा का अध्ययन करने के पश्चात् युधिष्ठिरजी अपने गुरु पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के साथ 1935 में लाहौर लौटे और रावी नदी के पार बारहदरी के निकट रामलाल कपूर के परिवार में आश्रम का संचालन करने लगे। भारत-विभाजन तक विरजानन्दाश्रम यहीं पर रहा। 1947 में जब लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो जिज्ञासुजी भारत आ गए। 1950 में उन्होंने काशी में पुनः पाणिनी महाविद्यालय की स्थापना की और रामलाल कपूर ट्रस्ट के कार्य को व्यवस्थित किया। पं० युधिष्ठिर भी कभी काशी, तो कभी दिल्ली अथवा अजमेर में रहते हुए ट्रस्ट के कामों में अपना सहयोग देते रहे। उनका सारस्वत सत्र निरन्तर चलता रहा। दिल्ली तथा अजमेर में रहकर उन्होंने "भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान" के माध्यम से स्व ग्रन्थों का लेखन व प्रकाशन किया। इस बीच वे 1959-1960 में टंकारा स्थित दयानन्द जन्मस्थान स्मारक ट्रस्ट के अन्तर्गत अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। 1967 से आजीवन वे हरियाणा के बहालगढ़ (सोनीपत) स्थित रामलाल कपूर ट्रस्ट के कार्यों को सम्भालते रहे। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें 1976 में संस्कृत के उच्च विद्वान् के रूप में सम्मानित किया तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने 1989 में उन्हें महामहोपाध्याय उपाधि प्रदान की। 1985 में आर्यसमाज सान्ताक्रुज बम्बई ने मीमांसकजी को 75000 रु. की राशि भेंटकर उनकी विद्वता का सम्मान किया।

कार्य - पं. युधिष्ठिर मीमांसक जी ने प्राचीन शास्त्र ग्रन्थों के सम्पादन के अतिरिक्त ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थों को आलोचनात्मक ढंग से सम्पादित करने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त उनके मौलिक ग्रन्थों की संख्या भी पर्याप्त है।

- *डॉ. विवेक आर्य*

स्वास्थ्य रक्षा

जल चिकित्सा के वैदिक प्रमाण

इस संसार में कोई भी मनुष्य अस्वस्थ एवं दुःखी नहीं रहना चाहता। प्रत्येक मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। किंतु अनुचित आहार गलत जीवनशैली और पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण आज उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना एक कठिन चुनौति है। ऐसे में वेदज्ञान के माध्यम से प्रचलित जल चिकित्सा एक विशिष्टि पद्धति के विषय में यहां प्रस्तुत है - स्वास्थ्य रक्षा के कुछ उपयोगी अनुभवी सूत्र संदेश।- सम्पादक

गतांक से आगे -

यही चिकित्सा आज सम्पूर्ण विश्व में 'जलचिकित्सा' पानी का ईलाज, टब बाथ का स्नान इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। जो प्राकृतिक चिकित्सा का एक विशेष अंग है। देश में प्राकृतिक चिकित्सा का आरम्भ तीव्र बुद्धि यद्यपि अक्षर ज्ञान रहित लोगों से हुआ, परन्तु आगे चलकर समय की बढ़ती मांग और उसको अपनाने वाले बड़े-बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टरी की उच्च डिग्री प्राप्त चिकित्सक हुए हैं।

जर्मन के प्रसिद्ध ऐलोपैथिक डॉक्टर हैनरिक लहमन (Henrkk Lahmann) को ऐलोपैथी से जब सन्तोष न हुआ और उन्होंने विषैली औषधि का सहारा छोड़कर प्राकृतिक जीवन, वैज्ञानिक, भोजन और स्वास्थ्यवर्धक कपड़े पहनने पर विशेष बल दिया।

जर्मन के प्रोफेसर सर अरनाल्ड एहरेट (Sir Arnold Ehrat) ने अमरीका में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसार किया और उन्होंने फलाहार तथा उपवास पर अधिक बल दिया है।

अमरीका के डॉक्टर हैनरी लिंडल्हार एम.डी. (Henry Lindlhar M.D.) ने भी प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार किया पहले वे भी एलोपैथिक डॉक्टर थे, बाद में प्राकृतिक चिकित्सा के अनुयायी बने। उनका मत था कि यदि नया रोग औषधि अथवा इंजेक्शन से दबा दिया गया और विकार नहीं निकला तो फिर वही जीर्ण के रूप में प्रकट होता है।

प्रोफेसर आर्टल (Ortal) ने जल पीकर सब रोगों की विधि पर बड़ा आन्दोलन किया जिससे जल के आरोग्यवर्धक गुणों पर वहां की जनता का विश्वास बढ़ने लगा।

लिच फील्ड (Lich Field) के डॉक्टर सरजान फ्लोअर (Sir Jonn) सिवलमतद्ध को जब पता चला कि नगर के पास ही किसी झरने के पानी में स्नान करके कुछ लोगों ने स्वास्थ्य लाभ किया है, तब उन्होंने भली प्रकार जांच की। परीक्षण से सत्य सिद्ध होने पर जल चिकित्सा के भक्त बन गए। हमारे देश भारत के जबलपुर निवासी स्वर्गीय रायबहादुर, युगपुरुष महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई इत्यादि महानुभाव हुए हैं। जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की प्रशंसा की है और वे इसके प्रबल समर्थक भी थे।

आज जो देश विज्ञान के ऊंचे शिखर पर उन्नत हुए हैं। वहां प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार और प्रचार धीरे-धीरे इसलिए हुआ क्योंकि वेद का ज्ञान सब लोग प्राप्त नहीं कर सके। वेद में इस चिकित्सा का पूर्ण भंडार है। यदि वे वेद पढ़े होते तो परम्परा से ही जल चिकित्सा-पद्धति से सुपरिचित होते।

अनावश्यक विचारों को कैसे नियन्त्रित करें?

गतांक से आगे -

8. वर्तमान में जीयें - जो समय व्यतीत हो गया उसका चिन्तन कर शोक या पश्चाताप करना व्यर्थ है। भविष्य में जो होगा वह देखा जायेगा उसकी चिन्ता क्यों करनी। हमारे पास जो वर्तमान है उसे ही सुधारने और सुखमय बनाने से भविष्य भी सुखमय ही होगा यह कहा जा सकता है।

9. सुखद चिन्तन - निराशा और असफलता के विचारों को छोड़ सुखद जीवन का चिन्तन करना चाहिये। इसी भाँति अनहोनी घटनाओं का चिन्तन करके परेशान होना भी समझदारी नहीं है।

10. यथार्थ में जीयें - कुछ व्यक्ति केवल हवाई किले ही बनाते रहते हैं। करते कुछ भी नहीं। उनको कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। इसलिये जो मन में विचार किया है तदनुसार आचरण करने पर दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगेंगे।

अन्य उपाय

1. मन को उत्तेजित करने वाले और चंचल बनाने वाले कार्यक्रम टी.वी. मोबाईल, फेसबुक आदि से परहेज करें अथवा जरूरी होने पर ही इन्हें खोलें।

.....अपनी जीवन ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगायें जैसे संगीत, प्राचीन वस्तुओं-सिक्के, नोट, मुद्रा, डाक टिकट देश-विदेश के अस्त्र-शास्त्र आदि का संग्रह करना।. ..... क्षमा वीरस्य भूषणम्। किसी ने अपना अपराध भी किया हो तो मन से उसे क्षमा कर दें। तभी आप दूसरे को अपना बना सकते हैं।

2. अपने विचारों की दिशा को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर बदल दें यथा- कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, शरीर शौष्ठव के लिये व्यायाम करना, प्रातःकाल भ्रमण करना महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना आदि।
3. प्रातःकाल कुछ समय तक मौन रहे। इस समय मन में भी विचार न आयें तो अधिक सफलता मिलेगी।
4. अपनी जीवन ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगायें जैसे संगीत, प्राचीन वस्तुओं-सिक्के, नोट, मुद्रा, डाक टिकट देश-विदेश के अस्त्र-शास्त्र आदि का संग्रह करना।
5. सेवा कार्यों में सहयोग दें। इससे मन को शान्ति मिलेगी।
6. अपनी दिनचर्या बनायें। सायंकाल सोने से पहले डायरी लिखे अथवा सोने से पहले लेटे लेटे ही प्रातःकाल से सायंकाल तक जो-जो कार्य किये हैं उनकी पुनरावृत्ति करते हुये सो जाये।

- डॉ. स्वामी देवव्रत सरस्वती

7. संसार के संसाधन इतने सीमित हैं। इसलिये सब लोगों को पूरे सुखोपभोग को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। हाँ रोटी, कपड़ा-मकान सबके पास होने ही चाहिये।
8. दिन में एक बार पसीना निकल जाये इतना व्यायाम भ्रमण, श्रमदान करना ही चाहिये। पसीने के साथ शरीर की बहुत सी गन्दगी बाहर निकल जायेगी और रक्त शुद्ध होकर सभी अंग - प्रत्यगों को स्वस्थ बनायेगा।
9. क्षमा वीरस्य भूषणम्। किसी ने अपराध भी किया हो तो मन से उसे क्षमा कर दें। तभी आप दूसरे को अपना बना सकते हैं।
10. सब से श्रेष्ठ उपाय है अपनी चिन्तन शक्ति को आत्मा-परमात्मा की ओर मोड़ देना।

Makers of the Arya Samaj : Mahatma Hansraj

Continue From Last issue

But before he could make up his mind about any ofthese things something happened which decided his future for him.

Swami Dayanand Saraswati the founder of the Arya Samaj, had died in 1883. The Arya Samajists of the Punjab wanted to keep his memory alive. But how could they do it? After thinking it over for a long time, they decided that a college should be established. It should be named the DayanandAnglo-Vedic College, after Swami Dayanand. Its objects would be to encourage the study of English literature and sciences. It would also aim at spreading a knowledge of Sanskrit, and of the Vedas. Above all, it would seek to revive Hindu culture.

For this purpose about seven thousand rupees were collected. A deputation visited various places in the Punjab for raising funds. The result was that about thirty-two thousand rupees were collected. But this sum was not sufficient to run a college. TheArya Samajists were,naturally, filled with disappointment. They did not know what to do. But Hans Raj came to their rescue.

It happened like this. After his graduation Hans Raj wanted to devote himself to the work of the Arya Samaj. He wanted to do so as an honorary worker, that is, as one who would not get any pay for his work. This was, however, a very difficult thing to do for a man of Hans Raj's means. As we know, his father had left him nothing. His brother also was not very rich. So how could he do it?

One day he happened to talk this matter over with his brother. Being a generous and noble person, he at once replied, " If this is what you want to do, please do not hesitate because of money. It is true I am not very rich. Still, I will share with you whatever I have. While you serve the country I will do everything to keep you happy." These words filled Hans Raj with courage and hope. As his mind was definitely made up he wrote to L. Sain Das offering his honorary services to the college.

The Headmaster asked him where he had learned these things. Hans Raj referred to a book named Qasas-i-Hind (the Story of India) which was written in Urdu. In it were written the foHowing words, "The Ancient Aryans were a wise, intelligent and good people. They were highly civilized and were always guided by noble principles. They worshipped only one God, who pervades the whole world. They did not worship anything else but Him. Their religion was based on very lofty principles. They believed that action, worship and knowledge are the three chief parts of religion." But this did not convince the Headmaster. He still kept to his own point of view. To prove it he referred to a book which was used in the school. It said that the ancient Aryans were barbarians.

This offer gladdened the hearts of the Arya Samajists. They started, the D.A.V. College on the lst of June, 1886. L. Hans Rajwas appointed its first honorary Headmaster. Though young, he managed the school very well. It had five hundred students by the end of the first year. Two years later Intermediate classes were started. In 1894 B.A. classes were added. L. Hans Raj was then made the Principal of the college. He served in this capacity for twenty- five years.

For the next twenty-five years, therefore, the story of his life is the story of the college. As L. Lajpat Rai remarked, "L. Hans Raj is the one person who has given his all for the college. It is impossible to think of the college without him.

He has never spared himself in its interests. He has been its life and soul."

Another gentleman has remarked, "We can learn much from L. Hans Raj. His life has been a life of simplicity. He has lived like a poor man in the service of the college. To him the college has been every thing and he has served it with his whole heart. Indeed, he gave up everything for-its sake. Nobody can find fault with his life, it is so pure. The services that he has rendered to the public are many and for this he will always be remembered. But what has distinguished him most has been his stead-fastness of purpose. He has never left anything unfinished, which he has once set his heart on doing."

We may, therefore, ask ourselves what L. Hans Raj has done for the college.

In the first place, he made the college a monument of self-help. Before this college was founded, people never thought that a college in India could be run by an Indian principal. But L. Hans Raj showed that this was possible. Again, it was thought that it was not good for a college that its staff should be entirely Indian. But he was able to manage the college with only Indians as members of the staff. It was also believed that for the

success of an institution the management must have some officials on it. But this college was run without the help of any officials. Again, it was believed that Government aid was necessary for an institution like the D.A.V. College. But it was run with the help of subscriptions from the public and especially from the Arya Samajists. L. Hans Raj thus made the college a unique institution.

This was not the only way in which he served the college. He also did a good deal of teaching. At first he lectured on English literature. But this meant too much strain on him, so he began to teach the students History and Economics. These lectures were very useful to young men. He delivered them not merely to enable students to pass the examination, but to give them a thorough know-ledge ofthe subject. Even today it is possible to meet some of his students in the Punjab who would say, "L. Hans Raj's lectures on History and Political Economy opened our eyes.

To be continued......

With thanks By: "Makers of Arya Samaj"

बाल बोध

सोच समझकर करें अनुकरण

प्यारे बच्चों, बालबोध के इस अंक में हम अनुकरण के विषय में बात करते हैं।

अनुकरण दो धारी तलवार है। बुरी बातों का अनुकरण करना विनाशकारी और अच्छी बातों का अनुकरण करना कल्याण कारी होता है। मनुष्य जैसी बातों का अनुकरण करता है, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए किसी भी बात का अनुकरण करने से पूर्व सावधानीपूर्वक हमें सोचना-विचारना चाहिए। क्योंकि अनुकरण दो प्रकार का होता है एक पूर्वजों का और दूसरा जीवित लोगों का। यह कोई बात नहीं कि अनुकरण महापुरुषों का किया जाए या साधारण जनों का। पर ध्यान में रखने की बात यह है कि तुम जिस बात का अनुकरण करना चाहते हो वह बात अनुकरणीय है या नहीं? बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई बात अनुकरणीय हो सकती है और बड़े से बड़े व्यक्ति में भी कोई बात अनुकरणीय नहीं भी हो सकती है।

किसी भी बात का अनुकरण करने से पूर्व तीन प्रश्न करो-

1.नैतिक दृष्टि से क्या उस बात का अनुकरण करना उचित है?

2. आर्थिक दृष्टि से क्या वह बात लाभदायक है? और

3. स्वास्थ्य के लिए क्या यह उचित है?

यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हां में आता है तो तुम उसका अनुकरण निसंकोच होकर करो और यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो तुम उसका अनुकरण कभी मत करो।

प्राचीन समय में माता-पिता और आचार्य अपनी संतान और शिष्यों को यह शिक्षा दिया करते थे कि हमारी जो बातें निर्दोष हैं उनका अनुकरण करो लेकिन हमारी जो बातें दोषयुक्त हैं उनका कभी भूल कर भी अनुकरण मत करना। इसका यही अर्थ है कि बुद्धिपूर्वक अनुकरण करने से अनुकरणकर्ता अनुकरणीय बनता है।

आजकल समाज में बच्चे बिना सोचे समझे अनुकरण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वे स्वयं भी असफल होकर दुखी होते रहते हैं और उनके माता-पिता तथा समस्त हितचिंतक भी दुखी होते रहते हैं। यहां तक कि कई बार तो बच्चों के बुरे अनुकरण के कारण समाज, देश और दुनिया को भी उनके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ जाता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपने दोस्तों का अनुकरण करते हैं। वैसे हमने पहले ही बताया है कि अच्छा अनुकरण किसी का भी करना बुरा नहीं है किंतु अच्छे और बुरे का ध्यान रखना जरूरी होता है।

आधुनिक परिवेश में बुरे दोस्तों के चक्कर में पड़कर बुराइयों में फंस जाना, दुर्गुण दुर्व्यसनों को अपना लेना, अपनी पढ़ाई से मुंह मोड़ लेना, बिना मतलब की दादागिरी में पड़ जाना, नशे आदि की लत लगा लेना, अपने बड़ों का तथा अध्यापकों का अपमान करना, तोड़फोड़ और विध्वंस के कार्यों में पड़ जाना, आदि-आदि यह सब अनुकरण के विनाशकारी हेतु बन जाते हैं और आजकल मित्र मंडली भी इतनी विचित्र होती है कि वे लोग कसम खिला- खिलाकर दोस्ती के नाम पर बुराइयों में ऐसे धकेलते हैं कि पता भी नहीं होने देते कि ये वास्तव में दोस्त हैं या दुश्मन? इसलिए आज समाज में बहुत ही सतर्क होकर चलने की जरूरत है। बुरे लोग इतना नाटक करते हैं कि बुराई परोसते हुए साथ में यह भी कहते जाते हैं कि तू मेरा दोस्त है, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, एक बार मेरे कहने से तू ऐसा कार्य कर, तुझे बहुत मजा आएगा, तू ऐसा खा-पी ले और बच्चे का कोमल मन होने के कारण वह उनके जाल में फंसकर बुरा अनुकरण करने लगता है। तो इसीलिए हमें यह सोचना चाहिए कि चाहे कोई कितनी भी कसम खिलाए, बहलाए, फुसलाए, उकसाय लेकिन हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, सोच समझकर अनुकरण करना है, अगर कोई हमारा दोस्त भी नहीं है और वह अच्छी बात कहता है,चाहे उसका कहने का तरीका थोड़ा तीखा हो, मतलब कड़वाहट भी हो उसकी बात को मान लेना, लेकिन जो मीठा बोले और बुरी बात सिखाए, उसकी बात नहीं माननी, उसका अनुकरण नहीं करना है।

ओ३म्

भारत में फैले सम्प्रदायों की निष्पक्ष व तार्किक समीक्षा के लिए उत्तम कागज़, मनमोहक जिल्द एवं सुन्दर आकर्षक मुद्रण (द्वितीय संस्करण से मिलान कर शुद्ध प्रामाणिक संस्करण)

सत्य के प्रचारार्थ

सत्यार्थ प्रकाश

सत्य के प्रचारार्थ

• प्रचार संस्करण (अजिल्द) 23×36÷16	मुद्रित मूल्य 50 रु.	प्रचारार्थ 30 रु.	प्रचारार्थ मूल्य पर कोई कमीशन नहीं
• विशेष संस्करण (सजिल्द) 23×36÷16	मुद्रित मूल्य 80 रु.	प्रचारार्थ 50 रु.	
• स्थूलाक्षर सजिल्द 20×30÷8	मुद्रित मूल्य 150 रु.		प्रत्येक प्रति पर 20% कमीशन

10 या 10 से अधिक प्रतियाँ लेने पर विशेष अतिरिक्त कमीशन

कृपया, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें और महर्षि दयानन्द की अनुपम कृति सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार प्रसार में सहभागी बनें

आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट
427, मन्दिर वाली गली, नया बांस, दिल्ली-6
Ph. :011-43781191, 09650522778
E-mail : aspt.india@gmail.com

आर्य समाज के महापुरुषों के नाम पर मार्ग, पार्क एवं चौराहों के नामकरण

आवश्यक सूचना

अपने सेवा प्रकल्पों एवं लोकोपकारी कार्यों के कारण विख्यात आर्य समाज का भारत में अपना विशेष स्थान है। सम्पूर्ण भारत में सैंकड़ो से ज्यादा स्थानों पर सड़क, मार्ग, पार्क और चौराहों के नाम आर्य समाज एवं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विरजानंद, स्वामी श्रद्धानंद आदि महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं, यह अपने आपमें गौरव की बात है, किन्तु इनकी जानकारी एवं रिकार्ड न हो पाना एक खेद का विषय भी है।

अतः भारत की समस्त आर्यसमाजों, आर्य प्रतिनिधि सभाओं एवं आर्य संस्थानों के अधिकारियों, कार्यकर्त्ताओं एवं आर्यजनों से अनुरोध है कि आप कहीं भी आर्य समाज एवं आर्य महापुरुषों के नाम पर किसी भी सड़क, मार्ग, पार्क और चौराहे को देखें या आपके क्षेत्र में ऐसा कोई नया नामकरण हुआ हो तो कृपया इसकी सूचना/फोटो/सम्बन्धित प्रस्ताव/जानकारी **'दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा,15-हनुमान रोड़, नई दिल्ली-110001'** के पते पर भेजें अथवा aryasabha@yahoo.com पर भेजें अथवा 9650183339 पर व्हाट्स एप्प पर भेजें।

वैदिक शगुन लिफाफे

महर्षि दयानन्द के चित्र एवं वेदमन्त्रों सहित सुन्दर डिजाइनों में

सिक्के वाले	बिना सिक्के
मात्र 500/-रु. सैंकड़ा	मात्र 300/-रु. सैंकड़ा

प्राप्ति स्थान : -दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15 हनुमान रोड, नई दिल्ली
दूरभाष : 011-23360150, 09540040339

शोक समाचार

भजनोपदेशक पं. कमलदेव आर्य की जा निधन

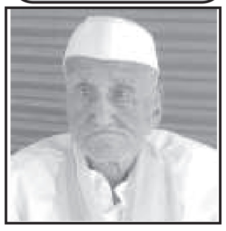

आर्यसमाज के सुप्रद्धि भजनोपदेशक पं. कमलदेव आर्य जी का 21 सितम्बर, 2020 को लगभग 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अन्तिम संस्कार 22 सितम्बर को उनकी जन्मस्थली गढ़ी महाराम, मथुरा (उ.प्र.) में पूर्ण वैदिक रीति के साथ किया गया। आपका कार्यक्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और एटा जिले रहे।

श्री सत्येन्द्र मिश्रा जी को मातृशोक

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व मन्त्री एवं आर्यसमाज गोविन्दपुरी नई दिल्ली के अधिकारी श्री सत्येन्द्र मिश्रा जी की पूज्य माता जी श्रीमती सुशीला देवी जी का दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया। उनका अन्तिम संस्कार गाजीपुर शमशान घाट में पूर्ण वैदिक रीति से किया गया।

श्री ईश्वर दयालु आर्य जी का निधन

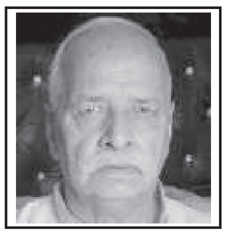

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखण्ड के सदस्य एवं आर्यसमाज देहरादून से जुडे वैदिक विद्वान श्री ईश्वर दयालु आर्य जी का दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को 89वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कुछ समय से उदर रोग से पीडित थे। उनका अन्तिम संस्कारा पूर्ण वैदिक रीति से किया गया।

श्री विनोद चन्द्र विद्यालंकार जी का निधन

आर्यसमाज के वैदिक विद्वान, डॉ. आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी के सुपुत्र एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातक श्री विनोद चन्द्र विद्यालंकार जी का 14 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया। उनका अन्तिम संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से किया गया। सेवानिवृत्ति के उपरान्त वे आर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम ज्वालापुर में रहकर सेवा कार्य कर रहे थे।

श्री मनमोहन मेहता जी का निधन

आर्यसमाज रोहतास नगर शिवाजी पार्क शाहदरा दिल्ली के पूर्व प्रधान एवं वर्तमान संरक्षक श्री मनमोहन मेहता जी का 20 सितम्बर, 2020 को प्रातः निधन हो गया। उनका अन्तिम संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से किया गया।

श्री ईश्वर चन्द त्यागी जी का निधन

आर्यसमाज शकरपुर दिल्ली के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व पुस्तकाध्यक्ष श्री ईश्वरचन्द त्यागी जी का लम्बी बीमारी के बाद 23 सितम्बर को सवेरे 7 बजे निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। एन.डी.एम.सी.के उद्यान विभाग में डायरेक्टर रहे श्री त्यागी जी का परिवार आर्य सिद्धान्तों से ओतप्रोत है।

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा एवं आर्यसन्देश परिवार के समस्त अधिकारी एवं कार्यकर्त्ता परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं शोक-संतप्त परिजनों को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य एवं उनके पदचिह्नों पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे। -सम्पादक

सोमवार 21 सितम्बर, 2020 से रविवार 27 सितम्बर, 2020
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15-हनुमान् रोड, नई दिल्ली-110001

दिल्ली पोस्टल रजि.नं0 डी.एल.(एन.डी.)-11/6071/2018-19-2020
नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट करने का दिनांक 24-25 सितम्बर, 2020
पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं. यू (सी.) 139/2018-19-2020
आर. एन. नं. 32387/77 प्रकाशन तिथि: बुधवार 23 सितम्बर, 2020

आर्य संदेश टीवी चैनल
www.AryaSandeshTV.com

30 सितम्बर तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रम

प्रातः 5:00 जागरण मन्त्र
प्रातः 5:05 शरण प्रभु की आओ रे
प्रातः 6:00 योग एवं स्वास्थ्य
प्रातः 6:30 संध्या
प्रातः 6:45 आओ ध्यान करें
प्रातः 7:00 दैनिक अग्निहोत्र
प्रातः 7:30 वैदिक विद्वानों के सान्निध्य में व्याख्यानमाला (लाइव प्रसारण)
प्रातः 8:30 भजन बेला
प्रातः 9:00 श्री राम कथा
प्रातः 9:30 न्यूज बुलेटिन व भजन उत्सव
प्रातः 10:00 प्रवचन संग्रह
प्रातः 10:30 नव तरंग
प्रातः 11:00 प्रवचन माला
प्रातः 11:30 योग एवं स्वास्थ्य
अपरान्ह 12:00 श्री राम कथा
अपरान्ह 12:30 स्वामी देवव्रत प्रवचन
अपरान्ह 1:00 विशेष
अपरान्ह 2:00 आर्य मंच
अपरान्ह 2:30 भजन सरिता
अपरान्ह 3:00 प्रवचन माला
अपरान्ह 3:30 नव तरंग
सायं 4:00 न्यूज बुलेटिन और भजन उत्सव
सायं 5:00 योग एवं स्वास्थ्य
सायं 5:30 शरण प्रभु की आओ रे
सायं 6:00 सायंकालीन अग्निहोत्र
सायं 6:30 संध्या
सायं 6:45 आओ ध्यान करें
सायं 7:00 स्वामी देवव्रत प्रवचन
सायं 7:30 श्री राम कथा
सायं 8:00 भजन सरिता
सायं 8:30 भजन बेला
रात्रि 9:00 वैदिक विद्वानों के सान्निध्य में व्याख्यानमाला (पुनः प्रसारण)
रात्रि 10:00 शयन मन्त्र
रात्रि 10:05 न्यूज बुलेटिन व भजन उत्सव
रात्रि 11:00 नव तरंग
रात्रि 11:30 प्रवचन माला
रात्रि 12:00 स्वामी देवव्रत प्रवचन
रात्रि 12:30 शरण प्रभु की आओ रे
रात्रि 1:00 विशेष
रात्रि 2:00 वैदिक विद्वानों के सान्निध्य में व्याख्यानमाला (पुनः प्रसारण)
रात्रि 3:00 आर्य मंच
रात्रि 3:30 स्वामी देवव्रत प्रवचन
प्रातः4:00 न्यूज बुलेटिन और भजन उत्सव

नोट : आपातकालीन स्थिति में उपरोक्त दैनिक कार्यक्रमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। - ***व्यवस्थापक***

महर्षि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा में बोधोत्सव का आयोजन

आर्यजनों को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि प्रतिवर्ष की भांति आगामी वर्ष में महर्षि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा में शिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य ऋषि बोधोत्सव का आयोजन 10,11,12 मार्च 2021 को किया जायेगा। आपसे निवेदन है कि आप यह तिथियाँ अभी से अंकित कर लेवें और इन तिथियों में अपनी आर्य समाज एवं अपनी संस्था का कोई कार्यक्रम न रखकर उक्त समारोह में अधिक से अधिक आर्य जनों के साथ टंकारा पधारने का कार्यक्रम बनायें। आपके आवास एवं भोजन की व्यवस्था टंकारा ट्रस्ट की ओर से होगी। अपने आने की पूर्व सूचना पत्र अथवा व्हाट्सएप्प नं. 9560688950 के माध्यम से भेजें।

- ***अजय सहगल, मन्त्री***

प्रतिष्ठा में,

प्रतिभा आपकी - सहयोग हमारा
महाशय धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान
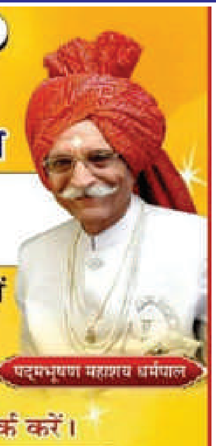

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (IAS/IPS/IFS आदि)
की तैयारी कर रहे योग्य और मेधावी प्रतिभागियों की सहायता की घोषणा करता है।
संस्थान द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दिल्ली में छात्रावास, कोचिंग, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन सहित सभी सुविधायें प्रदान की जायेंगी।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संपर्क करें।
वेबसाइट : www.pratibhavikas.org
आवेदन की अंतिम तिथि - 16 अक्टूबर 2020
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
9311721172 E-Mail : dss.pratibha@gmail.com

जानिये एम डी एच देगी मिर्च की शुद्धता, गुणवत्ता और उत्तमता की
सच्चाई
यह मिर्च कर्नाटक में पैदा होती हैं। वहां पर लगभग 1000 औरतें पूरा दिन सिर्फ मिर्च की डंडी उतारने के काम में लगी रहती हैं। उसी मिर्च से देगी मिर्च तैयार होती है।

क्या आप लकड़ी (डंडी) मिला मिर्च मसाला खाना चाहते हैं या बिना लकड़ी (डंडी) वाला मिर्च मसाला?
लकड़ी (डंडी) बिना मिर्च मसाला शुद्धता और स्वाद के गुणों से भरपूर होता है। मसाला लगता भी कम है और स्वाद भी भरपूर आता है। क्योंकि बिना लकड़ी (डंडी) के मिर्च की शुद्धता 20% से भी ज्यादा और बढ़ जाती है। जबकि लकड़ी (डंडी) मिला मिर्च मसाला लगता भी ज्यादा है और स्वाद भी नहीं आता है और तो और यह सेहत के लिये भी नुकसान दायक होता है।
आप खुद ही फैसला कीजिये कि आप कैसा मिर्च मसाला खाना पसंद करेंगे क्योंकि सवाल सिर्फ शुद्धता और स्वाद का ही नहीं आप की सेहत का भी है।
MDH मसाले सेहत के रखवाले असली मसाले सच-सच

महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लिमिटेड
ESTD. 1919
9/44, कीर्ति नगर, नई दिल्ली -110015 फोन नं० 011-41425106-07-08
E-mails : mdhcare@mdhspices.in, delhi@mdhspices.in www.mdhspices.com

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के लिए मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक श्री धर्मपाल आर्य द्वारा हरिहर प्रैस, ए-29/2, नारयणा औद्यो. क्षेत्र-1, नई दिल्ली-28 से मुद्रित एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15-हनुमान् रोड, नई दिल्ली-1; फोन : 23360150; 23365959; E-mail : aryasabha@yahoo.com; Web : www.thearyasamaj.org से प्रकाशित
सम्पादक : धर्मपाल आर्य सह सम्पादक : विनय आर्य व्यवस्थापक : शिवकुमार मदान सह व्यवस्थापक : आर्य डॉ० ओमप्रकाश भटनागर, एस. पी. सिंह